न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 152/2016

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1भंवराराम 2चेनाराम 3नींबाराम पुत्रान नारायणराम जातियान राईका निवासीगण रूपनगर (खाटूबडी) तहसील जायल जिला नागौर।		1तहसीलदार, जायल 2पटवारी हल्का खाटूबडी।

उपस्थिति :–

1. श्री गंगासिंह कालवी अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांकः 28.03.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 387/2016 सरकार बनाम भंवराराम में निर्णय दिनांक 23.05.16 के तहत मौजा रूपनगर के खसरा नं. 662 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.10.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 25.10.16 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि करीब 40 वर्ष पूर्व गांव के सरपंच व गांव के मौजीज सभी लोगो ने अपीलांट्स के पिता को कहा कि रास्ता खसरा नं. 663 की दक्षिणी सीमा के पास उसकी भूमि में कायम कर दे। क्योंकि इससे इधर बसी ढाणियों वालो के लिये रास्ता की सुविधा होगी व उसके यानि अपीलांट के पिता के भी सुविधा होगी, क्योंकि रास्ता थोडे से रकबा की भूमि पर बीच से चलता है। यह प्रस्ताव सब लोगो का नारायणराम ने स्वीकार कर लिया व रास्ता पटवारी व तहसीलदार जायल की सहमति से खसरा नं. 663 की दक्षिणी सींव के पास वाली भूमि पर कायम कर दिया व बीच में से बंद कर दिया। इस रास्ता पर मौजीज लोगो ने कहा कि बाद में सडक बनवा लेगे। इसलिये अपीलांट के पिता नारायणराम ने अपने खेत खसरा नं. 663 के दक्षिणी हिस्से पर कायम कर दिया। कालान्तर में इस रास्ता पर डामर की पक्की सडक भी बना दी गई जो अभी चल रही है तथा खसरा नं. 662 रास्ते की भूमि पर रास्ता का उपयोग बंद हो गया तथा वह अपीलांटान की खातेदारी के शामिल ही काश्त 40 वर्षो से हो रहा है। सो यह भूमि अब रास्ता नही रहा है तथा रास्ता का अस्तित्व भी खत्म हो गया है। यह सब होने के बावजूद भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार जायल ने अपीलांटान के विरूद्व धारा 91 रा.ले.रे. एक्ट के तहत कार्यवाही कर इस भूमि खसरा नं. 662 रकबा 0.05 बीघा पर अतिक्रमी बता कर दिनांक 23.05.16 को बेदखली का आदेश बिना अपीलांटान को नोटिस दिये व कोई तरह की सूचना दिये कर दिया है। जिसका ज्ञान अपीलांटान को 15–20 दिन पहले तक नही था। करीब 15–20 दिन पहले अपीलांटान को पटवारी हल्का ने इस भूमि का कब्जा छोडने के लिये कहा व इस कार्यवाही के बारे में व आदेश बेदखली का होने के बारे में बताया तब तहसील कार्यालय में पत्रावली की कार्यवाही व आदेश की नकलों के लिये आवेदन करके नकले प्राप्त की। जिन्हे देखकर इस आदेश व कार्यवाही का पता चला। सो यह अपील कानूनी राय आदि लेकर व रू. पैसो की व्यवस्था करके अपील पेश की। न्याय हित में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–आदेश जैर अपील विरूद्व कानून व हालात मामला के है।

2}(II)–खसरा नं. 662 पर अपीलांट्स ने संवत 2072 में कब्जा कर लिया। जो गलत है। इस भूमि का उपयोग रास्ता के रूप में गत 40 वर्ष या इससे भी अधिक समय से नही हो रहा है। यह सभी गांव वालों व पटवारी हल्का तक को पता है। खसरा नं. 663 के दक्षिणी हिस्सा पर अपीलांटान की खातेदारी की

अपर कलक्टर, नागौर

भूमि पर डामर की पक्की सडक बनी है व चालू है तथा आज भी है व इस पर आवागमन हो रहा है। प्रश्न उठता है यह सडक अपीलांटान की भूमि पर किस कारण से बनी है। उस जगह रास्ता था ही नही तो सडक का निर्माण कैसे किया जा सकता था। वहां रास्ता चल रहा था। इसलिये तो सडक बनी है। वर्ना उसी वक्त राजस्व कर्मचारियों व जिन कर्मचारियों ने यह सडक बनाई तब खसरा नं. 662 पर ही बनानी चाहिये थी। मगर खसरा नं. 662 की जगह रास्ता नही था व रास्ता अभी जहां सडक है। वही रास्ता चल रहा था व वही सडक बनी है। इस भूमि को अपीलांटान से अवाप्त करके कब्जा नही किया है। न उन्हे मुआवजा दिया है। जब खसरा नं. 662 पर 40 वर्ष से ज्यादा अरसा से रास्ता नही है या रास्ते के उपयोग नही हो रहा है तो अब इस पर किसी को रास्ते के अधिकार नही है तथा अगर थे तो वे समाप्त हो गये है। 30 वर्ष से ज्यादा अरसा हो गया है। सो सरकार को भी इसे रास्ता कहने या उस पर अपीलांटान को अतिक्रमी कहने का अधिकार नही रहा। सो यह कार्यवाही गलत है। अपीलांटान अपनी भूमि पर काबिज है व इसकी ऐवज में उनकी खातेदारी की भूमि सडक व रास्ते के काम में आ रही है। अगर खसरा नं. 662 को रास्ता बताया जाता है तो अपीलांटान को उनकी जो भूमि सडक के नीचे है। उसे वापस अपीलांटान को सौंपी जावे व सडक हटायी जावे। सडक करीब 6 वर्ष पहले बनी है। सो प्रार्थी को उस पर वापस कब्जा करने का अधिकार है। इस खसरा नं. 662 पर काश्त होने से किसी को भी कोई असुविधा नही हो रही है। न रास्ता अवरूद्व है। सडक चल रही है, 20 मीटर की दूरी में दो रास्ते समानान्तर चलना न्याय संगत नही है। फिर तो अपीलांटान की खातेदारी की बाकी भूमि भी फालतू हो जावेगी। उस पर काश्त संभव नही है। इसलिये यह कार्यवाही पटवारी हल्का से अपीलांटान से अब दुश्मनी रखने वाले लोगो ने कहकर करवायी है। वर्ना 40 वर्ष में ऐसा नही हुआ। न 6–7 वर्ष पूर्व सडक बनी तब कोई विवाद या विचार नही हुआ। इसलिये कार्यवाही समाप्त की जाने योग्य है।

{2}(III)–अपीलांटान को जवाबदेही व अपना पक्ष रखने का मौका ही नही दिया। न उन्हे कोई विधिनुसार नोटिस देकर इस कार्यवाही की सूचना दी गई। वर्ना उपर बताये गये विवरण व हकीकत पत्रावली पर आती व नतीजा और ही होता। इसके अलावा पत्रावली में मौका मुआयना की रिपोर्ट है। जिसमें भी सडक का विवरण है व रास्ता के बारे में नया अतिक्रमण हो ऐसा नही है। सडक अपीलांटान के खेत में है। जान करके हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक ने नही लिखा है। यह नाप करके देखा जा सकता था कि सडक किस खसरा नं की भूमि पर है। वह जानबूझ कर नही लिखा है कि व मौन रखा है। वर्ना नाप से तो पूरा खुलासा हो जाता कि अपीलांटान के खेत की भूमि पूरी है या सडक के नीचे है। मगर जानबूझकर इस पर मौन रखा गया है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर कोई जांच नही की है। न पटवारी हल्का के बयान लिये है। न अन्य किसी के बयान लिये है। न मौका मुआयना किया है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट कर दी, उसे बिना साक्ष्य के किस आधारा पर माना है, उल्लेख नही है। सो एक ही दिन में बिना किसी साक्ष्य व जांच के आदेश कर दिया है। जो गलत है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा ग्राम रूपनगर में स्थित गै.मु. रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रूपनगर के खसरा नंबर 662 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय भूमि होना रेकर्ड से साबित है तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा आमजन की शिकायत पर बाद जांच सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर